न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।
उपस्थित – **इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।**
(J.O. Code- UP 1894)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**480/2026**

मसूदा पत्नी शफीक, निवासी ग्राम गंगेरू, थाना कांधला, जिला शामली।
.....आवेदिका/अभियुक्ता,

बनाम

राज्य **.....विपक्षी,**

परिवाद सं0 13143 वर्ष 2025
धारा 420,467,468,471 भा0दं0सं0
थाना कांधला, जिला शामली।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता–**चौधरी गय्यूर,**
राज्य– **श्री संजय सिंह चौहान, जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक।**

दिनांकः– 24.03.2026

आवेदिका/अभियुक्ता **मसूदा** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता इमरान पुत्र शमीम के द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदिका/अभियुक्ता का पैरोकार है। आवेदिका/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादी यूनुस की ओर से न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन/एफ0टी0सी0, शामली में इस आशय का परिवाद संस्थित किया कि परिवादी के गांव में बस अड्डे के पास मौ0 कुरेशियान में लगभग 150 गज का एक मकान है, जो कि दादइलाही है। इस मकान की जगह को वर्ष 1952 मे परिवादी के पिता बशीर ने जाफर हुसैन से खरीदा था, खरीदने के बाद उसके पिता ने इस जगह पर अपने जीवनकाल में ही छः दुकानें व अन्दर दो कमरों का सैट की तामीरात करायी थी। परिवादी का ज्यादातर परिवार पंजाब के जीरा शहर में रहकर अपना व्यवसाय कर रहा है। परिवादी की चाची मसूदा को इस मकान में तामीरात हुए दो कमरों के सैट की कुछ दिनों के लिए मसूदा के इस निवेदन पर कि वह अपना मकान बनवा रही है, तब तक रहने के लिए उसे दे दो, पर उसने लगभग दस वर्ष पूर्व छः महीने के लिए मसूदा को रहने के लिए एक कमरा व रसोई दिए थे। छः महीने के बजाए लगभग एक साल के करीब रहकर मसूदा ने हमारा मकान खाली कर दिया था। परिवादी की चाची मसूदा का उसके मकान से कोई ताल्लुक वास्ता किसी किस्म का नहीं था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके बावजूद भी मसूदा व उसके लड़के आशू ने दिनांक 19.07.2016 को हमारे मकान में बनी दो मुहानी दुकान को इरशाद को यह लिखते हुए बेच दिया कि वह इस जगह की द्वारा विरासत मालिक है, जबकि इस जगह को विक्रय करने का कोई हकूक मसूदा व उसके लड़के आशू को नहीं था। इसके बाद इसी दुकान का बैनामा इरशाद ने इकराम को दिनांक 19.10.2020 को कर दिया। उसके बाद पुनः इसी दुकान का बैनामा आसू ने इकराम से दिनांक 04.04.2022 को लेकर इसी दुकान का बैनामा इकबाल को कर दिया। आसू व उसकी माता मसूदा ने जानबूझकर एक षडयंत्र के तहत नफा नाजायज कमाने की नीयत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर परिवादी व उसके परिवार की जायज प्रोपर्टी को हड़पने की नीयत से यह प्रपंच रचा है व इस बाबत जानकारी होने के बाद माह मई 2022 से अब तक कई बार थाना

INDERPREET JOSH
Digitally signed by INDERPREET JOSH
Date: 2026.04.15 07:33:01 +01'00'

कांधला पर रिपोर्ट दी जा चुकी है, आखिर बार दिनांक 28.11.2022 को परिवादी के द्वारा थाना हाजा पर इस बाबत एक तहरीर दी गयी, परंतु तहरीर देने पर अभी तक थाने से केवल आश्वासन मिला है, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। परिवादी के उक्त परिवादपत्र पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.09.2023 द्वारा अभियुक्तगण आसू व मसूदा को धारा 420,467,468,471 भा0दं0सं0 के अपराध में जरिये समन विचारण हेतु तलब किया।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्ता ने परिवादी साथ न तो कोई छल किया है और न ही कोई धोखाधडी की है। परिवादी ने परिवादपत्र में घटना के दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया है, कहानी मनगढ़न्त व झूठी बनायी है। आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता एक वृद्ध बीमार गरीब महिला है, जिसकी आयु करीब 77 वर्ष है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 16.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर उसकी दुकान का फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को बैनामा कराए जाने का आरोप है। मामला परिवाद पर आधारित है। आवेदिका/अभियुक्ता पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसकी पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में आया है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 16.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इसके अतिरिक्त आवेदिका/अभियुक्ता का 77 वर्षीय वृद्ध महिला होना बताया गया है, जिसके समर्थन में आधारकार्ड की प्रति दाखिल की गयी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत प्रदान किए जाने का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **मसूदा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप अंकन 25,000/–(रू0 पच्चीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि वह विचारण में सहयोग प्रदान करेगी।

दिनांक 24.03.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।